



दिल्ली विकास प्राधिकरण



विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली

पी.एम.-उदय

प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली की सूचीबद्ध अनधिकृत कॉलोनियों की चिह्नित सीमाओं के अन्दर आने वाली निर्मित सम्पत्तियों तथा निजी भूमि के मालिक प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना (पी.एम.-उदय) के अंतर्गत मकान/प्लॉटों पर कानूनन मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

विशेष जानकारी एवं पंजीकरण/आवेदन की प्रक्रिया पी.एम.-उदय की वेबसाइट pmuday.ncog.gov.in पर जाकर स्वयं पूरी कर सकते हैं या पी.एम.-उदय की नजदीकी हेल्प डैस्क की सहायता ले सकते हैं।

निम्नलिखित चार निजी एजेंसियों को निर्धारित फीस के साथ पंजीकरण और आवेदन में सहायता करने हेतु दि.वि.प्रा द्वारा एम्पैनल किया गया है:

- 1) MRFS: 9810419438
- 2) City Associates: 9868394701
- 3) Ace Innovators Pvt. Ltd.: 9717111000
- 4) Epacific Technologies Pvt. Ltd.: 9599107471

आवेदक आवेदन पर प्राप्त डेफिशियेंसी या कमियों को दूर करने के लिए भी इन एजेंसी की मदद ले सकते हैं।

योजना की अधिक जानकारी हेतु डी.डी.ए. की वेबसाइट www.dda.gov.in अथवा नजदीकी प्रोसेसिंग केन्द्र/सुविधा केन्द्र पर संपर्क किया जा सकता है।

- फॉलो करें: [Facebook](#) @ddaoofficial [Twitter](#) @official_dda [Instagram](#) @official_dda_ • डायल करें: टॉल फ्री नंबर 1800-110332

12x23 cm